# न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर
# बइजलास दिव्या (आर.ए.एस.)
# वाद पत्र सं. 277/2022
# अनुवान मुकेश आदि बनाम शांति आदि
# दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम
# निर्णय दिनांक 20/05/2025

1. श्रीमती मुकेश पत्नी स्व0 सलीम खान जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. फरजाना उम्र 14 वर्ष पुत्र स्वि. सलीम खान नाबालिग जरिये अपनी माता मुकेश पत्नी स्व0 सलीम खान जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. नसीब उम्र 12 वर्ष पुत्र स्व. सलीम खान नाबालिग जरिये अपनी माता मुकेश पत्नी स्व0 सलीम खान जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. सकीना उम्र 10 वर्ष पुत्र स्व. सलीम खान नाबालिग जरिये अपनी माता मुकेश पत्नी स्व0 सलीम खान जाति मुसलमान निवासी सावर तहसील सरदारशहर जिला चूरू

बनाम —वादीगण—

1. शांति पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी सावर तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू (राज.)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति:

1. श्री महावीर प्रसाद नेहरा वास्ते वादीगण
2. श्री तेज कुमार सारण वास्ते प्रतिवादी सं. 1
3. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी सं. 2

## निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के पति एवं पिता स्व0 सलीम खान के नाम से संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा रोही सावर तहसील सरदारशहर में स्थित थी। जिसमें वादीगण के पति एवं पिता का 1/7 खातेदारी कब्जा काश्त का था। वादीगण के पति एवं पति स्व0 सलीम खान ने अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा रोही सावर हाल ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर की कृषि भूमि में से अपने 1/7 हिस्सा में से 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2014 के द्वारा विक्रय की उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज करवाते समय 3 बीघा कृषि भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बजाए वादीगण के पिता व पति स्व0 सलीम खान की सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा कृषि भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया। जो नामान्तरण सं0 143 दिनांक 22.07.2014 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज है। जिसे शून्य घोषित करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादगत कृषि भूमि में से 3 बीघा कृषि भूमि का विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 1 के नाम पंजीकृत करवाने के बाद दिनांक 15.07.2014 को वादीगण के पति एवं पति स्व0 सलीम खान का स्वर्गवास हो गया। इस कारण वादीगण वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं रही है। वादीगण सं0 2 ता 4 नाबालिग हैं तथा वादी सं0 1 अकेली महिला होने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की। अब चूंकि वादीगण ने वादगत कृषि भूमि का विरासतन नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से बने गलत राजस्व रिकॉर्ड की वादीगण को जानकारी हुई। वादीगण वादगत कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे हैं प्रतिवादी सं0 1 का मौके पर 3 बीघा कृषि भूमि पर ही कब्जा काश्त है। इसलिए वर्तमान वादगत कृषि भूमि के बने गलत राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 3 बीघा यानि 0.7587 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा तथा वादगत कृषि भूमि के 1/7 हिस्सा में से शेष रही 1.0484 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है।

वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषित किया जावे कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर में से स्व0 सलीम खान के 1/7 हिस्सा में से 1.0484 हैक्टेयर के वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार है एव वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर का गलत दर्ज नामान्तरण सं0 143 दिनांक 22.07.2014 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबिले शूरू से शून्य व प्रभावहीन है तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/7 हिस्सा के स्थान पर 0.7587 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा वादीगण के नाम से 1.0484 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री तेज कुमार सारण ने वकालतनामा एवं इकबाल जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 पैरोकार राज को बार बार अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बंद किया गया। अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं हुई। पत्रावली वास्ते बहस मुकरर्र की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के पति एवं पिता स्व0 सलीम खान के नाम से संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा रोही सावर तहसील सरदारशहर में वादीगण के पति एवं पिता का 1/7 खातेदारी कब्जा काश्त था। वादीगण के पति एवं पति स्व0 सलीम खान ने अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा रोही सावर हाल ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर की कृषि भूमि में से अपने 1/7 हिस्सा में से 3 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.06.2014 के द्वारा विक्रय की उक्त कृषि भूमि का विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 ने राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज करवाते समय 3 बीघा कृषि भूमि अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बजाए वादीगण के पिता व पति स्व0 सलीम खान की सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा कृषि भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया। जो नामान्तरण सं0 143 दिनांक 22.07.2014 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन दस्तावेज है। जिसे शून्य घोषित करवाने के वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादीगण वादगत कृषि भूमि पर संयुक्त रूप से अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे हैं प्रतिवादी सं0 1 का मौके पर 3 बीघा कृषि भूमि पर ही कब्जा काश्त है। इसलिए वर्तमान वादगत कृषि भूमि के बने गलत राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त किया

जाकर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 3 बीघा यानि 0.7587 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा तथा वादगत कृषि भूमि के 1/7 हिस्सा में से शेष रही 1.0484 हैक्टेयर कृषि भूमि वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर में से स्व0 सलीम खान के 1/7 हिस्सा में से 1.0484 हैक्टेयर के वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार है एवं कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर का गलत दर्ज नामान्तरण सं0 143 दिनांक 22.07.2014 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबिले शूरू से शून्य व प्रभावहीन है। वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूत किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/7 हिस्सा के स्थान पर 0.7587 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा वादीगण के नाम से 1.0484 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वाद का समर्थन करते हुए वादी डिक्री करने में अनापत्ति होना जाहिर किया।

वकील वादीगण, प्रतिवादीगण व पैरोकार राज के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया, वादगत कृषि भूमि का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी व नक्शों को अवलोकन किया गया। इस प्रकार वादी कृषि भूमि ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर तहसील भानीपुरा में से स्व0 सलीम खान के 1/7 हिस्सा में से 1.0484 हैक्टेयर के वादीगण काबिज काश्तकार खातेदार होना प्रमाणित है। चूंकि दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

## आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर में से स्व0 सलीम खान के 1/7 हिस्सा में से 1.0484 हैक्टेयर के वादीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है एवं वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर का गलत दर्ज नामान्तरण सं0 143 दिनांक 22.07.2014 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले शूरू से शून्य व प्रभावहीन है तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/7 हिस्सा के स्थान पर 0.7587 हैक्टेयर तथा वादीगण के नाम से 1.0484 हैक्टेयर ब.हि.ब. दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर निर्णय आदेश की पालना करें। भूमि रहन यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरू)

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
**(Civil Procedure Code, Appendix 'D')**
अज अदालत सहायक कलक्टर, सरदारशहर
पीठासीन अधिकारी– दिव्या (आर. ए. एस.)
वादपत्र संख्या 277/2022
अनुवान मुकेश आदि बनाम शांति आदि
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महावीर प्रसाद नेहरा एडवोकेट एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर में से स्व0 सलीम खान के 1/7 हिस्सा में से 1.0484 हैक्टेयर के वादीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है एवं वादगत कृषि भूमि गत ख0 नं0 57 तादादी 50 बीघा वर्तमान ख0 नं0 136 तादादी 12.6500 हैक्टेयर रोही मौजा सावर का गलत दर्ज नामान्तरण सं0 143 दिनांक 22.07.2014 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले शूरू से शून्य व प्रभावहीन है तथा वादगत कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/7 हिस्सा के स्थान पर 0.7587 हैक्टेयर तथा वादीगण के नाम से 1.0484 हैक्टेयर ब.हि.ब. दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाकर निर्णय आदेश की पालना करें। भूमि रहन यथावत रहेगी।

.....बीज.....

.....मुबलि .....बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .....
..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....
..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)
ओहदा .....

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाहा | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 01 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 00 | 00 |
| स्टाम्प वजह सबूत | 00 | 00 | स्टाम्प वजह सबूत | 00 | 00 |
| महनताना वकील | 00 | 00 | महनताना वकील | 00 | 00 |
| खर्चा गवाहान | 00 | 00 | खर्चा गवाहान | 00 | 00 |
| फीस कमिश्नर | 00 | 00 | फीस कमिश्नर | 00 | 00 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 00 | 00 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 00 | 00 |
| मुतफर्रिक | 03 | 00 | मुतफर्रिक | 00 | 00 |
| मिजान | 06 | 00 | मिजान | 01 | 00 |